जी0आर0सं0 3388 / 19
कुढनी थाना 660 / 19

<u>आदेश</u>

22.11.19 काराधीन अभियुक्त नीरज कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा चालित किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त विल्कुल निर्दोष है एवं इस वाद में झुठे फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि इस वाद के कोई भी साक्षी जख्मी नहीं है तथा सूचक वर्तमान मुखिया के पति हैं एवं आवेदक का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। गांव की राजनीति के कारण आवेदक को इस झुठे वाद में फंसाया गया है। तथा अभियुक्त दिनांक 20.11.19 से कारा में है। अतः इसे जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

अभियोजन द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया, सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 307, 379, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप है जिसमें धारा 307 भा0द0वि0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। एवं आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं एवं उनकी संलिप्ता इस वाद में है। अतयव ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त नीरज कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को <u>खारिज</u> किया जाता है।

लेखापित,

ए0सी0जे0एम0—तृतीय,
मुजफ्फरपुर,पश्चिमी।